

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी - राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का खवाल

बनाम

अप्रार्थी मोहनराज अछाम/घोटुणा निवासी चारणवास अन्तर्गत धारा 91 मूराजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 123 / 2019

निर्णय दिनांक 14.2.19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खवाल ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद चारणवास के खसरा नम्बर 56 में किस्म श. 2 मेंसे रकबा 0.19 हेक्टर भूमि में बाड़ा व पस्का मडल लगाकर अतिक्रमण किया। जिस पर बाद धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी का वास्तु अजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मोहनराज को से नोटिस तामीन होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री ने दिनांक को उपस्थित होकर आबाव दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम निरीक्षक मू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का प्रबलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम चारणवास खसरा नम्बर 56 में किस्म श. 2 मेंसे रकबा 0.19 हेक्टर भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश दिये जाते हैं। लगान दर 6/- रुपये प्रति हेक्टर की दर से अतिक्रमण रकबा 0.19 हेक्टर भूमि के 1.14 रुपये लगान का 50 गुणा 57/- अक्षर सतावन रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को दक्षिण गांग काथणी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी का मौके से मौखिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 14.2.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर